फा.सं.14014/1/2018-जीसी (9315)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

***

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 01.05.2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: मार्च, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 और 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब का उल्लेख करने और मार्च, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग से संबंधित मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

देवराज

(देव राज शर्मा)

उप सचिव (प्रशा.)

दूरभाष: 011-23044620

सेवा में

1. मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने के लिए।

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग
*****

मार्च, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यकलापों और विभाग द्वारा लिए गए निर्णयों का मासिक सार।

1. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे बाद में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत मिला दिया गया, के तहत 28 राज्यों (गोवा को छोड़कर) में 2009-10 से 2014-15 के दौरान 8214 वाटरशेड विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत माह के दौरान 96 परियोजनाओं के पूरा करने की सूचना प्राप्त हुई है जिससे मार्च, 2019 तक इनकी संख्या बढ़कर कुल 2364 परियोजनाएं हो गई है।

2. नीरांचल सहित डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत वाटरशेड विकास के लिए मार्च, 2019 तक राज्यों को 1795.44 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

3. डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत इस वित्त वर्ष के दौरान मार्च, 2019 तक राज्यों को 68.09 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

4. सचिव (एफबीएंडएडीबी), आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना के बारे में 13.03.2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें विश्व बैंक और भूमि संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। भूमि संसाधन विभाग का प्रतिनिधित्व विशेष सचिव (एलआर), उप महानिदेशक (डब्ल्यूएम) और उपायुक्त (डब्ल्यूडी) ने किया। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय किए गए:-

(i) भूमि संसाधन विभाग बचत के बारे में आर्थिक कार्य विभाग को एक रिपोर्ट भेजेगा और शेष असंवितरित आईडीए को निरस्त करने का अनुरोध करेगा ताकि निरस्त राशि का उपयोग पुनः प्रतिबद्धता नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में नव वर्ष एवं वर्धित संरचना के लिए पुनः किया जा सके।

(ii) विश्व बैंक स्थगन समाप्त करेगा ताकि पूरे किए जाने वाले चालू कार्यकलापों के लिए राशि के संवितरण की अनुमति दी जा सके और भूमि संसाधन विभाग और भागीदार राज्यों द्वारा खर्च किए गए पात्र व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सके। संवितरण की अनुमति 30 जून, 2019 तक दी जाएगी।

(iii) विश्व बैंक पूर्वव्यापी वित्तपोषण के उपबंधों सहित नई परियोजना की संरचना और डिजाइन पर भूमि संसाधन विभाग और भागीदार राज्यों के साथ संवाद शुरू करेगा।

5. डीआईएलआरएमपी (डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम) और एनजीडीआरएस (राष्ट्रीय मूल दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली) की प्रगति की समीक्षा करने के लिए

विशेष सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में एक बैठक 13.03.2019 को (वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) आयोजित की गई, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ताकि एनजीडीआरएस को अपनाने और डीआईएलआरएमपी के कार्यान्वयन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से डीआईएलआरएमपी के तहत वित्त पोषण पद्धति बदलने के बारे में आग्रह किया गया और नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एमआईएस पोर्टल पर भौतिक प्रगति नियमित रूप से अद्यतन करने का भी अनुरोध किया गया।

6. मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देशों के अनुसार, विशेष सचिव (एलआर) की अध्यक्षता में व्यापार करना आसान बनाना के तहत उपायों की कार्यान्वयक एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से सचिव, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव (एलआर) के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को भी उपर्युक्त स्थिति से अवगत कराया गया।

7. माह के दौरान 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पहल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकारों/हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

****